UPBJ010119442023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

सेशन्स केस संख्या 2278/2023

सरकार बनाम उस्मान मलिक

<u>आरोप</u>

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त **उस्मान मलिक** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूॅ–

1– यह कि दिनांक 23.08.2023 को समय 21:00 बजे स्थान ग्राम इस्लाबाद थाना बढापुर, जनपद बिजनौर में आपने वादी मुकदमा राहुल राय को इंस्टाग्राम के माध्यम से लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी–गन्दी गालियॉ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा राहुल राय को इन्स्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा राहुल राय को इंस्टाग्राम पर गाली व जानसे मारने की धमकी भरे मैंसेज भेजकर अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 507 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा राहुल राय को अपमानित करने के आशय से इंस्टाग्राम पर मैंसेज के माध्यम से गन्दी–2 गालियॉ व जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (1) द** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.10.28 10:11:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा राहुल राय को इंस्टाग्राम पर गन्दी–2 गालियॉ व जान से मारने की धमकी के मैसेज यह जानते हुए प्रेषित किए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3(1)ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 27–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 27–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010119442023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 2278/2023

सरकार बनाम उस्मान मलिक

<u>27–10–2023</u>

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त उस्मान मलिक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त उस्मान मलिक के विरूद्व धारा 504,506,507 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 27–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त उस्मान मलिक के विरूद्व धारा 504,506,507 भा0द0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक –11–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 27–10–2023

(अवधेश कुमार प्रथम)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।